प्रपत्र – 5

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बाड़मेर

पीठासन अधिकारी श्री समदरसिंह भाटी (आर.ए.एस.)

अन्तिम डिक्री

अनवान

वादी	बनाम	प्रतिवादी
1 खरथाराम पुत्र रूपाराम जाति जाट निवासी नागाणा तहसील बाडमेर बाडमेर जिला बाडमेर।		1 रूपाराम पुत्र मेहराजराम 2 गोपाराम 3 श्रवण कुमार 4 भंवरलाल पिसरान रूपाराम जाति जाट निवासी नागाणा तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर 5 तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण।

दावा बाबत् 88 रा.का.अ.
मुकदमा नम्बर :– 20/2021
निर्णय दिनांक :– 06/09/22

वकील वादीगण एवं वकील प्रतिवादीगण की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 06/09/22 को श्री समदरसिंह भाटी, सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बाडमेर के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और अन्तिम डिकरी निम्नप्रकार दी जाती है कि :–

वादी का वाद तथा प्रतिवादी संख्या 01 से 04 द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के मद्देनजर वादी का वाद स्वीकार किया जाकर मौजा नागाणा पटवार क्षेत्र मुढों की ढाणी तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर के खसरा संख्या 323 रकबा 0.16 बीघा, खसरा संख्या 388/324 रकबा 36.07 बीघा, खसरा संख्या 401/338 रकबा 58.03 बीघा, खसरा संख्या 409/345 रकबा 16.06 बीघा, खसरा संख्या 580/345 रकबा 0.02 बीघा व खसरा संख्या 581/345 रकबा 0.04 बीघा कुल रकबा 111.18 बीघा भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 02 से 04 का प्रतिवादी संख्या 01 के साथ सहखातेदार घोषित किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 04 प्रत्येक का 1/5–1/5 हिस्सा खातेदारी का घोषित किया जाता है। तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण तदनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन करें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे।

यह आज तारीख 06/09/22 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(समदरसिंह भाटी)
पीठासन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बाडमेर

सहायक कलक्टर (SDO) बाड़मेर

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1 वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3 प्रदर्शो के लिए स्टाम्प 4 .... रूपये पर प्लीडर की फीस 5 साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 6 कमिश्नर की फीस 7 आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्सप प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	

E:\JITENDRA RAMAWAT\PD\PD Abhiyan.docx